

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21-8-82

समय : प्रातः 11-00 बजे

स्थान : कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

उपस्थिति :

1- श्री आर०डी० सोनकर	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2- श्री शम्भूनाथ	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3- श्री बी०जे०खोदायजी	सचिव, आवास विकास	सदस्य
4- श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगरएवं ग्राम नियोजक	सदस्य
5- श्री आर०के०सिंह	प्रशासक नगरपालिका, मेरठ।	सदस्य
6- श्री एस०सी०गुप्ता	अधिं० अभिं०, जलनिगम	सदस्य
7- श्री वाई०के०गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास	
9- श्री एस०के०गोयल	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग	

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के निम्न अधिकारी भी बैठक में
उपस्थित थे -

1- श्री धर्मेन्द्र देव	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
2- श्री भारत भूषण	वास्तुविद् नियोजक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
3- श्री जगेश कुमार	सहायक वास्तुविद्, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
4- श्री वी०के०अग्रवाल	सहायक अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

कार्यवाही का विवरण।

मद संख्या -1

पिछली बैठक दिनांक 23-2-82 की कार्यवाही की पुष्टि।

गत बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। इस कार्य की पुष्टि की गयी।

मद संख्या- 2

पिछली बैठक दिनांक 23-3-82 के निर्णयों पर की गयी कार्यवाही की समीक्षा ।

(1) पिछली बैठक में किये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया गया । अनाधिकृत कालोनियों के नियमन की दिशा में अब तक 65 कालोनियों में से 25 कालोनियों के भवन निर्माताओं को निर्माण अपराध के शमन के लिये नोटिस दिये जा चुके हैं तथा 76 मूल भू-स्वामियों के विरुद्ध अनाधिकृत भूमि के विकास के लिये अभियोजन प्रस्तुत किये जा चुके हैं एवं जिन भवन निर्माताओं के मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा जिनके विरुद्ध अनाधिकृत निर्माण के चालान भी प्राप्त नहीं हुए, उनका सर्वेक्षण चल रहा है ताकि उनका पता लगाया जा सके और उनके विरुद्ध भी यथोचित अनुसरण की कार्यवाही की जा सके । श्री एल०के० गुप्ता, संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग की ओर से यह आपत्ति की गयी कि कालोनियों का नियमितीकरण शासन की अनुमति के बाद ही होना चाहिए था ।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि सामान्यतः भूमि विकास के लिये तलपट मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार प्राधिकरण को प्राप्त है तथा नियमितीकरण की कार्यवाही के दौरान तलपट-मानचित्र ही कार्योत्तर रीति से स्वीकृत किये गये हैं फिर भी इस बात की कानूनी दृष्टि से परीक्षा करा ली जाये और आवश्यकता होने पर शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाये । बैठक में यह व्यक्त किया गया कि अनाधिकृत कालोनी बनाने वालों के विरुद्ध और अधिक कठोर कार्यवाही तत्परता के साथ की जानी चाहिए ।

(2) विकास भवन निर्माण योजना की प्रगति की समीक्षा करते समय यह अनुभव किया गया कि कार्यालय भवन के लिये विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्योलियों से माँगे प्राप्त हुई हैं किन्तु सरकारी विभागों ने एक बर्ष के अग्रिम किराये को जमा करने में सरकारी नियमों के कारण असमर्थता प्रकट की है । अतः इस कठिनाई का भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि सरकारी विभागों को इस शर्त से मुक्त रखा जाये ।

(3) नियमित की गयी कालोनियों के भू-उपयोग में परिवर्तन की दिशा में प्रगति की समीक्षा भी हुई । ऐसी 40 कालोनियों में से 30 कालोनियों के

सर्वेक्षण हो गये हैं। सचिव ने बताया कि ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के स्थानीय कार्यालय में महायोजना की सजरे पर ड्राफिटिंग पूर्ण न होने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव शासन को नहीं भेजे जा सके हैं। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि वास्तुविद नियोजक इस कार्य में सहयुक्त नियोजक की सहायता करें और यदि कोई कानूनी कठिनाई हो तो ड्राफिटिंग का कार्य सहयुक्त नगर नियोजक के कार्यालय के बजाय प्राधिकरण कार्यालय में ही करा लें ताकि भूउपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव शासन को भेजने में देरी न हो।

(4) महायोजना के संशोधन के लिये पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना पर विचार करते समय यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य के लिये बाँछित कर्मचारियों की नियुक्तियों के लिये शासन से अनुदान की माँग की जा चुकी है। यद्यपि शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है तथापि कार्य की महत्ता को देखते हुए अनुदान की प्रत्याशा में प्राधिकरण ने एक सर्वेयर, एक लेखपाल तथा एक ड्राफटसमैन नियुक्त कर लिये हें तथा एक सहायक नगर नियोजक के पद को भी भरने की कार्यवाही चल रही है। साथ ही सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ कर दिया गया कि शासन से अनुदान के बजाय स्टाफ की ही माँग की जाय तथा यह स्पष्ट कर दिया जाये कि प्राधिकरण ने अब तक क्या व्यवस्था की है।

(5) सूरजकुण्ड के विकास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी। ज्ञात हुआ कि कुण्ड के धरातल की सफाई के लिये मिट्टी की खुदाई का काम, सैन्ट्रल बोट हाउस का निर्माण, कुण्ड की पुरानी दीवारों की मरम्मत, नयी दीवारों का निर्माण तथा ट्यूब बैल का निर्माण आरम्भ हो गया है। मिट्टी की खुदाई करने पर पता चला कि मिट्टी में रेत ही रेत है जिसकी वजह से कुण्ड में पानी का रुकना सम्भव नहीं होगा। मिट्टी की खुदाई का कार्य बन्द कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में जलनिगम से परामर्श लिया जा रहा है। विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि जल निगम के परामर्श पर ही अमल किया जाये।

मद संख्या - 3

प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी भूमि तथा भवनों के मूल्य के निर्धारण के सिद्धान्त की स्वीकृति ।

इस बिषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी । विचार-विमर्श के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि भूमि तथा भवनों के मूल्य के निर्धारण का कार्य तकनीकी प्रकार का है जिसका निर्णय इस बैठक में करना सम्भव नहीं है । अतः इस कार्य के लिये एक समिति गठित की गयी जिसमें निम्न सदस्य होंगे -

1- सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ । (संयोजक)

2- अधिशासी अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

3- अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ ।

4- अधीक्षण अभियन्ता अथवा उनके प्रतिनिधि - अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेरठ ।

यह समिति सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी और उसके बाद भूमि तथा भवनों के मूल्य का निर्धारण करेगी । समिति द्वारा निर्धारित मूल्य अध्यक्ष की स्वीकृति के उपरान्त लागू होंगे ।

मद संख्या - 4

भूमि के विकास के सम्बन्ध में कालोनाईजर्स के साथ निष्पादित अनुबन्ध के प्रारूप की स्वीकृति ।

इस बिषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया तथा प्रस्तावित अनुबन्ध का प्रारूप भी देखा गया । यह अनुभव किया गया कि इस प्रारूप की उप-नियमावली तथा विनियमावली के प्रकाश में पुनः परीक्षा कर ली जाये ताकि विकास के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि का विकास हो सके । श्री एल०के०गुप्ता, संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग के सुझाव पर यह निर्देश दिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया प्रारूप भी देख लिया जाये । यह भी निर्देश दिया गया कि जो अनुबन्ध अन्तिम रूप से तैयार किया जाये उसमें इस बात की व्यवस्था हो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप भूमि का विकास हुआ अथवा नहीं । इसके सम्बन्ध में कालोनाईजर्स को सचिव, विकास प्राधिकरण की ओर से ही प्रमाण-पत्र दिया जायेगा ।

मद संख्या - 5

प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये सेवा विनियमों का प्रस्ताव ।

इस बिषय पर विचार किया गया । श्री एल०के०गुप्ता, संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग ने बताया कि प्राधिकरण के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली शासन स्तर पर तैयार हो रही है जो एक-दो महीनों में अवश्य बन जायेगी । अतः यह निर्णय हुआ कि शासन की नियमावली की प्रतीक्षा की जाये तथा जब उक्त नियमावली प्राप्त हो जाये तब उसी को अंगीकार कर लिया जाये ।

मद संख्या - 6

भविष्य निधि की स्थापना का प्रस्ताव ।

इस बिषय पर विचार किया गया । यह अनुभव किया गया कि कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिये भविष्य निधि स्थापित करना आवश्यक है । प्राधिकरण को उ०प्र०नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-24 के अन्तर्गत ऐसी निधि स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है । विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि भविष्य निधि की स्थापना तत्काल की जाये । कर्मचारियों से इस निधि के लिये मासिक अंशदान (न्यूनतम 10 प्रतिशत) प्राप्त किया जायेगा । यह भी निर्णय किया गया कि उक्त धारा के अन्तर्गत शासन से यह अनुरोध किया जाये कि इस निधि पर प्रावीडेन्ट फण्ड एक्ट 1925 के प्राविधान लागू कर दिये जायें ।

मद संख्या - 7

विकसित क्षेत्र में दातव्य, शैक्षिक, समाज सेवी तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के भवन मानचित्रों को विकास शुल्क से मुक्त करना ।

टिप्पणी पर विचार किया गया । यह अनुभव किया गया कि विकसित क्षेत्र में विकास शुल्क लेना उचित हैं क्योंकि इस शुल्क की दर बहुत कम है और इस शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग नगर के सामान्य सुधार

तथा सौन्दर्यकरण पर हो सकता है। यह भी अनुभव किया गया कि जो दातव्य, शैक्षिक, समाज-सेवी तथा सांस्कृतिक संस्थायें निर्माण कार्य पर ₹० 70/- प्रति वर्ग फुट की दर पर व्यय कर सकती हैं, वे 1/- प्रति वर्ग फुट की दर पर विकास शुल्क भी दे सकती हैं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं के भवन मानचित्रों को विकास शुल्क से मुक्त न किया जाये।

मद संख्या - 8

भवन उप-नियमावली 1980 के उप-नियम संख्या-5.3, 16.5, 19.2 तथा 32.1.1 में संशोधन।

भवन उप-नियमावली, 1980 के प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। संशोधन की आवश्यकता के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होने के उपरान्त निम्न संशोधित उप-नियम स्वीकृत किये गये-

5.3.1 : (I)

All original plans and related information for building permission plots upto 50 sqm. in built-up areas and 100 sqm. in undeveloped areas and upto two storeys and all subsequent plans of addition improvement and alteration.

(ii)

Certificate of supervision of building in respect of plans referred to in (i).

16.5 :

यह निर्णय किया गया कि उक्त उपनियम के अन्तर्गत Reterracing के बाद Reroofing शब्द जोड़ लिया जाये।

19.2 :

संशोधित उप-नियम का आरम्भिक भाग इस प्रकार पढ़ा जायेगा -

"If Within 60 days of the

32.1.1 :

On plots occupied by residential buildings only, not more than 40% of the length of the rear yard may be occupied by one storey building of accessory use, such as kitchen, store, i.e. servant quarters and garage.

मद संख्या - ९

एक जनसम्पर्क अधिकारी, एक सहायक सम्पत्ति अधिकारी तथा नौ लिपिकों के पदों का सृजन का प्रस्ताव।

इस बिषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। यह अनुभव किया गया पिछले एक बर्ष के दौरान प्राधिकरण का कार्य कई गुना बढ़ गया है तथा बढ़े हुए काम की तुलना में वर्तमान कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। अतः सूचारू रूप से कार्य चलाने के लिये निम्नलिखित पद सृजित किये गये-

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1- सहायक सम्पत्ति अधिकारी - | एक पद (500-1150 के वेतनक्रम में) |
| 2- ड्राफ्टसमैन - | एक पद (280-460 के वेतनक्रम में) |
| 3- लिपिक - | आठ पद (200-320 के वेतनक्रम में) |

लेखा लिपिक - दो पद

नाजिर - एक पद

पत्र-व्यवहार लिपिक- एक पद

अभिलेखागार - एक पद

सम्पत्ति लिपिक - एक पद

पैरवी लिपिक - एक पद

नियोजन अनुभाग के लिये लिपिक - एक पद

अभियन्त्रण अनुभाग के लिये लिपिक के सम्बन्ध में विचार करते समय यह निर्णय किया गया कि लिपिकों की संख्या ३०प्र०आवास एवं विकास परिषद के निर्धारित मानक के अनुसार रखी जाये।

जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर विचार करते समय यह निर्णय किया गया कि अभी प्राधिकरण को जन सम्पर्क अधिकारी की आवश्यकता नहीं है।

बल्कि जनसम्पर्क सम्बन्धी कार्य एक स्वागत/पूँछताँछ लिपिक से लिया जा सकता है।

मद संख्या-10

अभियन्त्रण अनुभाग के कार्यों पर अधिदर्शन तथा मार्गदर्शन के लिये विशेषज्ञ-सलाहकार की नियुक्ति।

अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि प्राधिकरण के पास इस समय लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक का कार्य है और मोटीपुरम आवासीय योजना के कार्यान्वित होने पर यह कार्य और भी बढ़ जायेगा। निर्माण कार्य की देख-रेख तथा नियोजन के लिये अधिशासी अभियन्ता के अलावा और कोई उच्च अधिकारी नियुक्त नहीं है। अतः इस समय प्राधिकरण को ऐसे विशेषज्ञ की सेवाओं की आवश्यकता है जो सलाहकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता को आवश्यकतानुसार अधिदर्शन तथा मार्गदर्शन प्रदान कर सके। विस्तारपूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि सलाहकार की नियुक्ति कुछ मानदेय देकर केवल तब तक के लिये कर ली जाये जब तक शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता की नियुक्ति न हो।

मद संख्या - 11

“मेरठ विकास प्राधिकरण (बैठक बुलाना और कार्य संचालन) विनियमावली 1982” की स्वीकृति।

शासन से प्राप्त आदर्श विनियमावली पर विचार किया गया। विचारोपरान्त इस विनियमावली को यथावत अंगीकार किया गया।

मद संख्या -12

हड्डको से विकास भवन के निर्माण के लिये ऋण स्वीकृति हेतु शासकीय अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव।

इस विषय पर विचार किया गया। विचार के उपरान्त निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया -

“संकल्प किया कि विकास भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत चार मंजिला कार्यालय भवन निर्माण करने के लिये 1 करोड 22 लाख रुपये का ऋण हड़को से निर्धारित दरों एवं शर्तों पर प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा शासन से अनुरोध किया जाता है कि उ०प्र०नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 20(5) के अन्तर्गत अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करें।”

“यह भी संकल्प किया कि विकास प्राधिकरण, मेरठ इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुबन्ध हड़को से करे और प्राधिकरण की ओर से उस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने तथा प्राधिकरण की सील का उपयोग करने के लिये सचिव को अधिकृत किया जाता है।”

मद संख्या -13

एक अतिरिक्त अभियन्नाण खण्ड के सृजन की अनुमति।

इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। सदस्यों ने सामान्य रूप से यह विचार किया कि आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप इस बात की पुनः समीक्षा कर ली जाये कि प्राधिकरण के पास कितना कार्य है और उसके अनुसार एक और खण्ड होना चाहिए अथवा नहीं। अन्त में यह निर्णय किया गया कि इन आकड़ों के साथ प्रस्ताव पुनः विचार के लिये आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या - 14

आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत विकसित बस्तियों का नामकरण।

इस विषय पर विचार किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि उपाध्यक्ष स्वयं सोच-विचार कर प्राधिकरण द्वारा विकसित बस्तियों का नामकरण कर दें।

मद संख्या - 15 विकसित क्षेत्र में देय विकास शुल्क से मुक्त करने के लिये मोदी रबर द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-2-82 पर विचार।

इस बिषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। सदस्यों ने आम तौर पर यह विचार प्रकट किया कि भले ही मोदी रबर लिंगो ने भूमि का विकास स्वयं किया हो, उनके द्वारा किये जाने वाले विभिन्न भवन निर्माण की वजह से नगर की विद्यमान सुविधाओं पर परोक्ष रूप से कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। अतः नगर के विकसित क्षेत्र की तरह मोदी रबर लिंगो द्वारा विकसित क्षेत्र में होने वाले भवनों के मानचित्रों पर भी 1/- रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से आच्छादित क्षेत्रफल पर विकास शुल्क लेना सर्वथा उचित है। तदनुसार मोदी रबर लिंगो के प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-2-82 जिसमें विकास शुल्क में छूट प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है, अस्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 16

हडको/ राज्य सरकार से मोदीपुरम आवासीय योजना के लिये ऋण लेने की स्वीकृति।

इस विषय पर विचार किया गया। विचारोपरान्त निम्न प्रस्ताव पारित किया गया-

“संकल्प किया कि मोदीपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत भूमि विकास, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के भवनों के निर्माण के लिये हडको से आवश्यकतानुसार ऋण निर्धारित दरों एवं शर्तों पर प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा शासन से अनुरोध किया जाता है कि उठोप्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 20(5) में अपेक्षित अनुमोदन प्रदान किया जाये।”

“यह भी संकल्प किया कि प्राधिकरण उक्त ऋण ब्याज सहित हुडको को वापस करने के लिये बचनबद्ध है। अतः इसके लिये किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से हडको को आवश्यक गारन्टी दिलाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तथा प्राधिकरण की ओर से सचिव को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने एवं प्राधिकरण की सील लगाने का अधिकार प्रदान किया जाता है ।”

“यह भी संकल्प किया गया कि विकास प्राधिकरण इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुबन्ध हड़को के साथ करें और प्राधिकरण की ओर से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने तथा प्राधिकरण की सील का उपयोग करने के लिये सचिव को अधिकृत किया जाता है ।”

मद संख्या - 17

अध्यक्ष की अनुमति से कोणार्क सहकारी आवास समिति लिमिटेड के प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-8-82 पर विचार ।

अध्यक्ष की अनुमति से सचिव ने कोणार्क सहकारी आवास समिति लिं० का उक्त पत्र पटल पर विचारार्थ प्रस्तुत किया । इस प्रार्थना-पत्र में समिति ने मोदीपुरम आवासीय योजना के लिये अर्जित भूमि में से 20 से 25 एकड़ तक की भूमि अविकसित रूप में अपनी समिति के सदस्यों के लिये माँगी है । उनका कहना है कि यदि अविकसित भूमि उन्हें मिल जाये तो वे इसका विकास अपेक्षाकृत अच्छी तरह से और कम समय में कर सकते हैं । उनका यह भी कहना है कि वे इस भूमि में से 500 वर्गगज के भूखण्ड अपने सदस्यों को दे सकेंगे जबकि प्राधिकरण की योजना के अनुसार सबसे बड़ा भूखण्ड 300 वर्गमीटर का ही होगा । सचिव ने बताया कि ऐसी ही एक माँग प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18-8-81 में विचार के लिये प्रस्तुत हुई थी जो शांति नगर सहकारी आवास समिति लिं० से प्राप्त हुई थी । शासन की वर्तमान नीति जैसाकि शासनादेश सं०-4156/37-2-18 मिस/78 दिनांक 24-8-81 में निहित है, यह है कि 25 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा सहकारी आवास समितियों को विकसित भूखण्डों के लिये है न कि अविकसित भूमि के लिये । इस नीति को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में उपर्युक्त समिति की माँग को स्वीकार नहीं किया गया था । अभी शासन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः विचारोपरान्त निर्णय हुआ कि कोणार्क सहकारी आवास समिति लिमिटेड को भी अविकसित भूमि नहीं दी जा सकती है ।

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

५०/-

सचिव

पृष्ठि की गयी ।

۶۰ / -

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।